डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
डिस्पेच दिनांक प्रतिमाह 1 व 16

● वर्ष 62 ● अंक 23 ● भोपाल ● 1-15 मई, 2019 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे

सीईओ श्री कान्ता राव ने इंदौर में की संभाग के 5 संसदीय क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने इंदौर में संभाग अंतर्गत 5 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा निर्वाचन–2019 के लिये की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिलों के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये कि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। निर्वाचन की शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाये। सभी तैयारियाँ निर्धारित समय–सीमा में पूरी की जायें। निर्वाचन प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाये। ईव्हीएम एवं वीवीपैट के संबंध में प्रोटोकाल का पालन किया जाये। सीमावर्ती राज्य के जिलाधिकारियों से नियमित संवाद एवं समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। कानून–व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिये जिला–स्तर पर कार्य–योजना बनाकर इसका प्रभावी क्रियान्वयन करायें। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पर भी विशेष ध्यान दें और बगैर अनुमति अवकाश पर जाने वाले अधिकारियों–कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

बैठक में बताया गया कि संभाग के अंतर्गत 5 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा निर्वाचन–2019 में मतदाता–सूची में अंतिम प्रकाशन के उपरांत 90 लाख 91 हजार 587 मतदाता के नाम दर्ज हैं। इनमें 46 लाख 36 हजार 101 पुरुष, 44 लाख 55 हजार 144 महिलाएँ और 342 अन्य मतदाता हैं। संभाग में मतदाताओं का इलेक्टोरल पापुलेशन रेशियो 61. 17 तथा जेण्डर रेशियो 965.47 है। जानकारी दी गई कि इंदौर संभाग में 11 हजार 82 मतदान–केन्द्र बनाये गये हैं, जिनमें से 2 हजार 20 मतदान–केन्द्रों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। सभी मतदान–केन्द्रों पर मतदाताओं के लिये मूलभूत सुविधाएँ जुटाई गई हैं। ईव्हीएम मशीन के बारे में बताया गया कि वीवीपैट और ईव्हीएम की एफएलसी और ईव्हीएम की प्रथम रेण्डमाइजेशन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों–कर्मचारियों और मास्टर– ट्रेनर, आइटम एक्सपेंडिचर तथा पुलिस सेक्टर ऑफिसर का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। यह प्रशिक्षण आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार दिये गये हैं। बैठक में निर्वाचन संबंधी जन–शिकायतों के निवारण, पुलिस बंदोबस्त और मतदाता जागरूकता के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी गई। समीक्षा बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के सचिव श्री एस.बी. जोशी, प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव, संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री वरुण कपूर, आबकारी आयुक्त श्री रजनीश श्रीवास्तव, पुलिस महानिरीक्षक (कानून–व्यवस्था) श्री योगेश चौधरी, पुलिस महानिरीक्षक (निर्वाचन व्यय) श्री अनंत कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) श्री जी.जी. पाण्डे तथा संयुक्त महानिदेशक (आय कर) विभाग श्री प्रशांत मिश्रा भी उपस्थित थे।

समय पर पूरा करें निर्वाचन कार्य : सीईओ श्री राव

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव तैयारियों के संबंध में विभागों की समीक्षा की

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने लोकसभा निर्वाचन–2019 की तैयारियों के लिये विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिये कि चुनाव के दौरान सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से करें। मतदान दिवस के पूर्व सौंपी गई सभी जिम्मेदारी पूर्ण कर लें।

श्री राव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिये कि मतदान दिवस को अवकाश घोषित करने की अधिसूचना जारी करें। निर्वाचन कार्य के दौरान प्रेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सूची उपलब्ध करायें। चुनाव कार्य के लिये प्रेक्षक हेतु अधिकारियों की सूची उपलब्ध करायें। वाणिज्यिक कर विभाग को निर्देशित किया गया कि मतदान एवं मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया जाये। उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों एवं कॉलेजों में स्थित मतदान केंद्रों में न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएँ सुनिश्चित करने और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्वाचन की अधिसूचना से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति बनाये रखने के लिये निर्देश दिये। गृह विभाग को केंद्रीय बलों की माँग भेजने और पुलिस कर्मियों एवं केंद्रीय बलों को मानदेय/अनुग्रह राशि की स्वीकृति, सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक, पुलिस डिप्लॉयमेण्ट प्लान के संबंध में निर्देश दिये। लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग गर्मी के मौसम में मतदान केन्द्रों पर मतदान के दिन पेयजल की व्यवस्था करे। श्रम विभाग को मतदान के दिन प्रदेश के समस्त निजी एवं शासकीय संस्थानों में अवकाश की सूचना जारी करने, लोक निर्माण विभाग को मतदान केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों एवं मतदान केन्द्रों की मरम्मत और बैरिकेड्स लगाने के निर्देश जारी किये। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मतदान कर्मियों एवं पुलिस के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने, उर्जा विभाग को मतदान के दिन प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, मतदान केन्द्रों पर विद्युत व्यवस्था, राजस्व विभाग को निर्वाचन संबंधी फार्म, लिफाफे, पुस्तकों का मुद्रण तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग को जोनल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का दायित्व सौंपा गया।

सहकारी समितियों का गठन

सहकारी संस्थाओं का गठन प्रस्तावित संस्था के रूप में समान हित वाले लोग मिलकर करते हैं। ये लोग ही प्रस्तावित समिति का प्रस्ताव (प्रपोजल) तैयार करते है। इसीलिए इन्हें प्रवर्तक सदस्य कहा जाता है। प्रस्ताव को पंजीकृत कराने हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएँ को प्रस्तुत किया जाता है। पंजीयन होने के बाद ही सहकारी संस्था अस्तित्व में आती है।

सहकारी समिति के पंजीयन की आवश्यकता

(1) पंजीयन के पश्चात् सहकारी समिति से विधान के अन्तर्गत विशेषाधिकार के लाभ प्राप्त हो जाते है।
(2) पंजीयन के पश्चात् समिति निगम निकाय बन जाती है।
(3) केवल पंजीकृत समिति ही अपने नाम के साथ ''सहकारी'' शब्द का उपयोग कर सकती है।
(4) पंजीकृत समिति को आयकर स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि से संबंधित छूट प्राप्त हो जाती है।
(5) पंजीकृत संस्था में लोगों/सदस्यों का विश्वास बढ़ जाता है।
(6) इससे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होती है।

पंजीयन की पात्रता

मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत निम्न संस्थायें पंजीयन हेतु पात्रता रखती हैः–

(1) वह समिति जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धान्तों के आधार पर अपने सदस्यों का आर्थिक अथवा सामान्य विकास करना हो अथवा
(2) वह समिति जिसका उद्देश्य उपरोक्त समिति के कार्य में सहायता प्रदान करना हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समिति का पंजीयन इस विधान के अंतर्गत नहीं हो सकता है। समिति सीमित अथवा असीमित दायित्व की हो सकती है। लेकिन वह समिति, जिसका कोई अन्य समिति भी सदस्य हो, समिति दायित्व ही की होगी ।

पंजीयन की शर्ते :–

ऐसी संस्था जिसकी अन्य सहकारी समिति सदस्य न हो के पंजीयन हेतु निम्न 4 शर्तो की पूर्ति आवश्यक हैः–

1. कम से कम 20 व्यक्ति जो कि संविदा करने की पात्रता रखते हों।
2. ये 20 व्यक्ति कम से कम 20 विभिन्न परिवारों से होने चाहिए।
3. अगर समिति का उद्देश्य सदस्यों को कर्जा देना हो तो सदस्यों को एक ही गांव या शहर या गांवों के समूह में रहना चाहिए। (पंजीयक द्वारा अन्यथा निर्देश न देने पर)
4. अगर समिति का उद्देश्य विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाना हो तो सदस्यों का वयस्क होना अनिवार्य नहीं होगा। मगर उनके पालकों को एक शपथ देना होगी कि समिति में विद्यार्थियों के दायित्व का भार वह सम्भालेंगे।

पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में पंजीयन को प्रेषित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ समिति के उपनियम की चार प्रतियां संलग्न की जावेंगी।
2. प्रार्थना पत्र पर निम्न के हस्ताक्षर होंगे :–

(क) अगर समिति की कोई अन्य समिति सदस्य नहीं है तो कम से कम 10 व्यक्ति जो सदस्यता की पात्रता रखते हों।
(ख) अगर समिति की कोई अन्य समितियां भी सदस्य हो,तो प्रत्येक समिति का एक प्रतिनिधि एवं कम से कम 10 व्यक्तिगत सदस्य हो ओर यदि कम हो तो सब हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिनिधि के संदर्भ में समिति का प्रस्ताव होना अनिवार्य है।
(स) प्रार्थना पत्र पंजीयक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा। प्रार्थना पत्र फार्म ए में होना चाहिए।
(द) प्रार्थना पत्र की जांच ।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर पंजीयक निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए संस्था का पंजीयन कर सकता है।

1. समिति अधिनियम के अन्तर्गत ही बनाई जा रही है और इसकी उपविधियां अधिनियम ओर नियमों के विरूद्ध नहीं है।
2. पंजयीक के मत में प्रस्तावित समिति आर्थिक दृष्टि से सक्षम है या होने की संभावना है।
3. प्रस्तावित समिति अन्य समिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

टिप्पणी :–

पंजीयक यदि आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित समिति की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर सकता है।

समिति का पंजीयन

अगर पंजीयक समिति का पंजीयन करता है तो वह समिति को पंजीयन प्रमाण पत्र देगा और अपने पास समितियों के रजिस्टर में इसका नाम जोड़ लेगा। अगर वह पंजीयन करने से इंकार करता है तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को इंकारी के कारणों सहित सूचना देगा।

संस्था का स्वपंजीयन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक– 1994 (8 मई 1994) द्वारा सहकारी विधान की धारा 9 में संशोधन कर स्वपंजीयन का प्रावधान किया गया है। इस धारा की उपधारा–3 के अंतर्गत पंजीयक के लिए अनिवार्य है कि वह संस्था के पंजीयन के आवेदन पत्र के प्राप्त होने की दिनांक से 90 दिन के भीतर संस्था के पंजीयन के संबंध में निर्णय ले लें। यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तो उसका कर्तव्य होगा कि वह उस कालावधि के अवसान की तिथि से 15 दिन के भीतर ऐसे आवेदन–पत्र को उच्च अधिकारी को भेज दें। यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वयं पंजीयक ही है तो ऐसा आवेदन–पत्र राज्य सरकार को भेजा जायेगा। और जैसी भी स्थित हो आवेदन–पत्र प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जावेगा।

यदि उच्च अधिकारी या राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो निर्धारित कालावधि मे आवेदन–पत्र का निपटारा करने में असफल हो जावें तो ऐसी समिति एवं उसकी उपविधियां पंजीकृत मानी जावेगी ।

पंजीयन प्रमाण पत्र

सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 14(1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (पंजीयक) प्रस्तावित संस्था के पंजीयन के पश्चात्, पंजीयन दिनांक से साठ दिन के भीतर पंजीयन प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर से जारी करेगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि प्रस्तावित सहकारी समिति पंजीकृत(रजिस्टर्ड) हो चुकी है। सहकारी समिति को जारी किया गया प्रमाण पत्र ही निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि वह '' संस्था अब एक पंजीकृत सहकारी समिति है।

म.प्र.सहकारी समितियां नियम 1962 के अंतर्गत सहकारी समिति के पंजीयन हेतु नियम

नियम 4,5 एवं 6

4. पंजीयन के लिए आवेदन पत्र–1 धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र रूप 'क' में दिया जावेगा।

(2) उस दशा में जहॉ कि पंजीयन की जाने वाली संस्था के सदस्यों में से कोई सदस्य पंजीयत संस्था हो, तो ऐसी पंजीयत संस्था की कमेटी का कोई सदस्य ऐसी समिति के ठहराव द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र पर उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा और ऐसी ठहराव की एक प्रतिलिपि आवेदन पत्र के संलग्न की जावेगी।
(3) आवेदन पत्र पंजीयक की रजिस्ट्री डाक से भेजा जावेगा या रूबरू सौंपा जावेगा।
(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर मे आवेदन की प्रविष्टि करेगा तथा उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित ऐसे आवेदन की एक रसीद, जिसमें ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख भी वर्णित की जाएगी, जारी करेगा ।
(5) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यविधि– पंजीयक आवेदन पत्र पर विचार करेगा तथा आवश्यकता हुई तो, आगे जांच की आज्ञा देगा या पंजीयन अस्वीकार कर देगा, यदि वह पंजीयन स्वीकृत करने का निर्णय करे, तो वह पंजीयन के हेतु रखे गये रजिस्टर में सस्था को पंजीबद्ध (दर्ज) करेगा, इस प्रकार की प्रत्येक प्रविष्टि पंजीयक की मोहर तथा हस्ताक्षर से प्रमाणित की जावेगी. वह संस्था को एक पंजीयन प्रमाण पत्र एवं उसके द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत–उपविधियों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रेषित करेगा।
(6) विषय जिनके संबंध में सोसाइटी की उपविधियां बनाई जा सकेंगी –(1) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ विषयों से संबंधित उपविधियां संलग्न होगी :–
(2) सोसाइटी की उपविधियां ऐसे अन्य विषयों के भी उपबंध कर सकती है जो विनिर्दिष्ट है किन्तु जो सोसाइटी के संगठन तथा इसके कारबार के प्रबंध से आनुषंगिक हो।

नवीन संस्था के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज:

1. संस्था की सदस्यता हेतु समस्त प्रवर्तक सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र। प्रारूप संलग्न। **परिशिष्ट - ग**
2. घोषणा पत्र (नियम 26 का उपनियम-1) मात्र सहकारी साख संस्थाओं के लिये। प्रारूप संलग्न। **परिशिष्ट - घ**
3. प्रथम हस्ताक्षरकर्ता/ प्रस्तावित अध्यक्ष का घोषणा पत्र (सहकारी अधिनियम/ नियम/ उपविधियों के पालन किये जाने के सम्बंध में) प्रारूप संलग्न। **परिशिष्ट - च**
4. प्रवर्तकों के जीवन वृत की जानकारी। प्रारूप संलग्न। **परिशिष्ट - झ**
5. कार्यक्षेत्र में अन्य संस्था के पंजीयन न होने बाबत शपथ पत्र। **परिशिष्ट - अ** (परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र शहरी साख संस्था एवं गृह निर्माण सहकारी संस्था के लिये आवश्यक नहीं होगा)
6. पंजीयन प्रस्ताव के समस्त हस्ताक्षरकर्ताओं के आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।
7. प्रस्तावित संस्था की कार्य योजना (पॉच वर्षों की)।
8. प्रस्तावित संस्था की उपविधियों की चार प्रतियॉ।
9. रहवासी सोसाइटी के लिए समस्त सदस्यों के भूखंड/मकान रजिस्ट्री का प्रथम पृष्ठ ।

परिशिष्ट -ग

सहकारी संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

(समस्त प्रवर्तक सदस्यों द्वारा भरा जाएगा)

प्रति
अध्यक्ष
..... सहकारी संस्था मर्यादित
.....

महोदय,

मैं, ...संस्था का सदस्य बनना चाहता हूं तथा मुझे संस्था की उपविधि स्वीकार है । संस्था की सदस्यता हेतु अंश कय के लिए राशि रूपये ----- एवं प्रवेश शुल्क के लिए राशि रूपय ---- कुल राशि रूपये ----- नकद/चेक/डिमांड ड्राफ्ट कमांक -------- दिनांक ---------से जमा कर रहा हूँ। मुझसे संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

1. नाम ---------- आधार नंबर ----------
   आयु ------ जन्म तिथि -------- पेन नंबर ------- मो.नं.--------
2. पिता/पति का नाम ---------- माता का नाम ----------
3. पता : मकान नंबर/ग्राम/मोहल्ला ----------
   पोस्ट आफिस ---------- तहसील ---------- जिला ----------
4. व्यवसाय ----------
5. वार्षिक आय ----------शब्दों में राशि रूपये (----------)
6. योग्यता ----------
7. सहकारी क्षेत्र का अनुभव ----------
8. उत्तराधिकारी का नाम ---------- संबंध ----------

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि, मेरे द्वारा सदस्यता आवेदन में दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे संपूर्ण ज्ञान से सही व सत्य हैं ।

(1) गवाह का नाम एवं पता — आवेदक के हस्ताक्षर
(2)गवाह का नाम एवं पता

नोट –आवेदन पत्र के साथ संस्था के वर्ग के अनुसार निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र तथा आधारकी स्वहस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है.

परिशिष्ट -घ

प्रारूप एफ/च

[नियम 26 का उपनियम (1) देखिये]

यह कि मैं ..... आत्मज .....निवासी .....तहसील ..... जिला ..... एक से अधिक ऋण देने वाली संस्थाओं का सदस्य हूँ/ * बन गया हूँ जिनके नाम नीचे दिये गये हैं :-

(1)..... (2).....(3).....

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 26 के उपनियम (1) के द्वारा जैसा अपेक्षित है मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं केवल ..... संस्था से ही उधार लूंगा.

(1)..... हस्ताक्षर.....
(2)..... दिनांक.....

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

घोषणा – पत्र **परिशिष्ट -च**

मैं ---------- आत्मज ---------- आयु ----

पता----------प्रस्तावित----------

सहकारी संस्था मर्यादित ---------- के पंजीयन आवेदन पत्र पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि प्रस्तावित संस्था के गठन में म.प्र. सहकारी सोसायटी 1960 एवं नियम 1962 तथा संस्था की प्रस्तावित उपविधि के उपबंधों का पूर्ण रूपेण पालन किया गया है तथा भविष्य में उक्त में होने वाले संशोधनों का भी पालन किया जाएगा ।

दिनांक ----------

हस्ताक्षर
नाम ----------

प्रवर्तक सदस्यों का बायोडाटा

परिशिष्ट - झ

1. प्रस्तावित संस्था का नाम :–
2. नाम प्रवर्तक सदस्य
3. आधार नंबर :– मोबाईल नम्बर :-
4. पिता का नाम :–
5. निवास का पता :–
6. व्यवसाय :–
7. व्यवसाय/कार्यालय का पता :–
8. शैक्षणिक योग्यता :–
9. सहकारी क्षेत्र की योग्यता एवं अनुभव
10. यदि किसी अन्य सहकारी संस्था के सदस्य/पदाधिकारी,हैं तो विवरण :–

नाम एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट -अ

संस्था के प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में अन्य संस्था के पंजीयन न होने बाबत घोषणा पत्र

(वर्गीकरण - शहरी साख संस्था एवं गृह निर्माण सहकारी संस्था के लिये आवश्यक नहीं होगा)

मैं, ----------, प्रस्तावित संस्था _____ के आवेदन का प्रथम प्रवर्तक सदस्य/ हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ कि प्रस्तावित संस्था के कार्यक्षेत्र में समान उद्देश्य की कोई अन्य सहकारी संस्था पंजीकृत नहीं है।

अथवा

मैं, ----------, प्रस्तावित संस्था _____ के आवेदन का प्रथम प्रवर्तक सदस्य/ हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा यह घोषित करता हूँ कि प्रस्तावित संस्था के कार्यक्षेत्र में पूर्व से पंजीकृत समान उद्देश्य की ---------- सहकारी संस्था कार्यरत है, परन्तु प्रस्तावित संस्था के पंजीयन उपरांत कारोबार करने से प्रस्तावित संस्था के कार्यक्षेत्र में पूर्व से पंजीकृत उक्त संस्था के कारोबार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

हस्ताक्षर
नाम प्रथम हस्ताक्षरकर्ता

जैविक खाद तैयार करने की विधियाँ

नाडेप

इस विधि को ग्राम पूसर जिला यवतमाल महाराष्ट्र के नारायम देवराव पण्डरी पाण्डे द्वारा विकसित की गई है। इसलिये इसे नाडेप कहते हैं। इस विधि में कम से कम गोबर का उपयोग करके अधिक मात्रा में अच्छी खाद तैयार की जा सकती है। टांके भरने के लिये गोबर, कचरा (बायोमास) और बारीक छनी हुई मिटटी की आवश्यकता रहती हैं। जीवांश को 90 से 120 दिन पकाने में वायु संचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा उत्पादित की गई खाद में प्रमुख रूप से 0.5 से 1.5% नत्रजन, 0.5 से 0.9% स्फुर एवं 1.2 से 1.4% पोटाश के अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाये जाते हैं। निम्नानुसार विभिन्न प्रकार के नाडेप टाकों से नाडेप कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है।

पक्का नाडेप

पक्का नाडेप ईटों के द्वारा बनाया जाता है । नाडेप टांके का आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा या 12'5'3 फीट का बनाया जाता है। ईटों को जोडते समय तीसरे, छठवे एवं नवें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6''–7'' के ब्लाक/छेद छोड़ दिये जाते है जिससे टांके के अन्दर रखे पदार्थ को बाह्य वायु मिलती रहे। इससे एक वर्ष में एक ही टांके से तीन बार खाद तैयार किया जा सकता है।

कच्चा नाडेप (भू नाडेप)

भू–नाडेप/ कच्चा नाडेप परम्परागत तरीके के विपरित बिना गड्ढा खोदे जमीन पर एक निश्चित आकार (12 फीट'5 फीट' 3 फीट अथवा 10फीट'6 फीट' 3 फीट) का लेआउट देकर व्यवस्थित ढ़ेर बनाया जाता है । इसकी भराई नाडेप टांके अनुसार की जाती है। इस प्रकार लगभग 5 से 6 फीट तक सामग्री जम जाने के बाद एक आयताकार व व्यवस्थित ढेर को चारों ओर से गीली मिट्टी व गोबर से लीप कर बंदकर कर दिया जाता है। बंद करने के दूसरे अथवा तीसरे दिन जब गीली मिट्टी कुछ कड़ी हो जाये तब गोलाकार अथवा आयताकार टीन के डिब्बे से ढेर की लंबाई व चौड़ाई में 9–9 इंच के अंतर पर 7–8 इंच के गहरे छिद्र बनाये जावे। छिद्रो से हवा का अवागमन होता है और आवश्यकता पड़ने पर पानी भी डाला जा सकता है, ताकि बायोमास में पर्याप्त नमी रहे और विघटन क्रिया अच्छी तरह से हो सके। इस तरह से भरा बायोमास

3 से 4 माह के भीतर भली–भांति पक जाता है तथा अच्छी तरी पकी हुई, भुरभुरी र्दुगंध रहित भुरे रंग की उत्तम गुणवत्ता की जैविक खाद तैयार हो जाती है ।

टटिया नाडेप

टटिया नाडेप भी भू–नाडेप की तरह ही होते हैं, किन्तु इसमें आयताकार व व्यस्थित ढेर को चारों और से लेप देने की जगह इसे बांस बेशरम की लकड़ी एवं तुअर के डंठल आदि से टटिया बनाकर चारों ओर से बंद कर दिया जाता हैं। इसमें हवा का आवगमन स्वाभाविक रूप से छेद होने के कारण अपने आप ही होता रहता हैं।

नाडेप फास्फो कम्पोस्ट

यह नाडेप के समान ही कम्पोस्ट खाद तैयार करने की विधि है। अंतर केवल इतना है कि इसमें अन्य सामग्री के साथ राक फास्फेट का उपयोग किया जाता है जिसके फलस्वरूप कम्पोट में फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। प्रत्येक परत के उपर 12 से 15 किलो रांक फास्फेट की परत बिछाई जाती है शेष परत दर परत पक्के नाडेप टांके अनुसार ही टांके की भराई की जाती हैं और गोबर मिट्टी से लीप कर सील कर दिया जाता है । एक टांके में करीब 150 किलो राक फसस्फेट की आवश्यकता होंगी।

पिट कम्पोस्

इस विधि को सर्वप्रथम 1931 में अलबर्ट हावर्ड और यशवंत बाड ने इन्दौर में विकसित की थी अतः इसे इंदौर विधि के नाम से भी जाना जाता है इस पद्धति में कम से कम 9x5x3 फीट व अधिक से अधिक 20'5'3 फीट आकार के गड्ढे बनाए जाते हैं। इन गड्ढो को 3 से 6 भागों में बांट दिया जाता है इस प्रकार प्रत्येक हिस्से का आकार 3'5'3 फीट से कम नहीं होना चाहिये। प्रत्येक हिस्से को अलग अलग भरा जावे एवं अंतिम हिस्सा खाद पलटने के लिए खाली छोड़ा जावें।

नाडेप टांका कम्पोस्ट खाद तैयार करने की विधि

वानस्पतिक बैकार पदार्थ जैसे सूखे पत्तो, छिलके, डंठल, टहनिया, जड़े आदि 1400 से 1600 किलो, इसमें प्लास्टिक कांच एवं पत्थर नहीं रहे।

गोबर 100 से 120 किलो (8 से 10 टोकरी) गोबर गैस से निकली स्लरी भी ली जा सकती है ।

सूखी छनी हुई खेत या नाले की मिट्टी 600 से 800 किलो (120 टोकरी) गो–मूत्र से सनी मिट्टी विशेष लाभदायी होती है।

साधारणतया 1500 से 2000 लीटर पानी, मौसम के अनुसार पानी की मात्रा कम या ज्यादा लग सकती है।

नाडेप बनाने की विधि

टांका भरने की विधि :– खाद सामग्री पूरी तरह एकत्रित करने के बाद नीचे बताए क्रम अनुसार ही टांका भरें। अचार डालने की तर्ज पर ही नाडेप पध्दति खाद सामग्री एक ही दिन में या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में पूरी तरह से टांका में भरकर सील कर दें।

प्रथम भराई :– टांका भरने से पहले टांके के अंदर की दीवार एवं फर्श गोबर व पानी के घोल से अच्छा गीला कर दें।

पहली परत :– वानस्पतिक पदार्थ कचरा, डंठल, टहनियां, पत्तियाँ आदि पूरे टांके में छः इंच की ऊचाई तक भर दें। इस 30 घनफीट में 100 से 110 किलो वानस्पतिक सामग्री आएगी। इस परत में 3 से 4 प्रतिशत नीम या पलाश की हरी पत्तियाँ मिलाना लाभप्रद होगा। जिससे दीमक पर नियंत्रण होगा।

दूसरी परत :– गोबर का घोल 125 से 150 लीटर पानी में 4 किलो गोबर मिलाकर पहली परत के उपर इस तरह छिड़कें कि पूरी वानस्पतिक सामग्री अच्छी तरह भीग जाए। गर्मी में पानी की मात्रा अधिक रखें। यदि बायोगैस की स्लरी उपयोग करें तो 10 लीटर स्लरी को 125 से 150 लीटर पानी में घोल कर छिड़कें।

तीसरी परत :– भीगी हुई दूसरी पतर के उपर, साफ छनी हुई मिट्टी 50 से 60 किलो के लगभग समान रूप से बिछा दें। परतों के इसी क्रम में टांके को उसके मुँह से 1.5 फीट उपर तक झोपड़ीनुमा आकार से भरें। सामान्यतः 11–12 परतों में टांका भर जावेगा। टांका भरने के बाद टांका सील करने के लिए 3 इंच मिट्टी (400 से 500 किलो) की परत जमा कर गोबर से लीप दें। इस पर दरारें पड़े तो उन्हे पुनः गोबर से लीप दें। द्वितीय भराई :– 15–20 दिन बाद टांके में भरी सामग्री सिकुड़ कर 8–9 इंच नीचे चली जावेगी तब पहली भराई की तरह ही वानस्पतिक पदार्थ, गोबर का घोल एवं छनी मिट्टी की परतों से टांके को उनके मुँह से 1.5 फीट उपर तक भरकर पहले भराव के समान ही सील कर लीप दें।

बायोगैस स्लरी

बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25 प्रतिशत ठोस पदार्थ रूपान्तरण गैस के रूप में होता है और 75 प्रतिशत ठोस पदार्थ का रूपान्तरण खाद के रूप में होता हैं। जिसे बायोगैस स्लरी कहा जाता हैं दो घनमीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलोग्राम प्रतिदिन या 18.25 टन गोबर एक वर्ष में डाला जाता है। उस गोबर में 80 प्रतिशत नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लेरी का खाद प्राप्त होता हैं। ये खेती के लिये अति उत्तम खाद होता है। इसमें 1.5 से 2ः नत्रजन, 1 þ स्फुर एवं 1 þ पोटाश होता हैं।

बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 20 प्रतिशत नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। अतः यदि इसका तुरंत उपयोग खेत में सिंचाई नाली के माध्यम से किया जाये तो इसका लाभ रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10–20 प्रतिशत बढ़त हो जाती है। स्लरी के खाद में नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषण तत्व एवं ह्यूमस भी होता हैं जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है तथा जल धारण क्षमता बढ़ती है। सूखी खाद असिंचित खेती में 5 टन एवं सिंचित खेती में 10 टन प्रति हैक्टर की आवश्यकता होगी। ताजी गोबर गैस स्लरी सिंचित खेती में 3–4 टन प्रति हैक्टर में लगेगी। सूखी खाद का उपयोग अन्तिम बखरनी के समय एवं ताजी स्लरी का उपयोग सिंचाई के दौरान करें। स्लरी के उपयोग से फसलों को तीन वर्ष तक पोषक तत्व धीरे–धीरे उपलब्ध होते रहते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट

केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता हैं। यह सेन्द्रिय पदार्थ ह्यूमस व मिट्टी को एकसार करके जमीन के अंदर अन्य परतों में फैलाता हैं । इससे जमीन पोली होती है व हवा का आवागमन बढ़ जाता है तथा जलधारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। केंचुओं के पेट में जो रसायनिक क्रिया व सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया होती है, जिससे भूमि में पाये जाने वाले नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश एवं अन्य सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ती हैं। वर्मी कम्पोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते है तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कम्पोस्ट डेढ़ से दो माह के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें 2.5 से 3% नत्रजन, 1.5 से 2% स्फुर तथा 1.5 से 2% पोटाश पाया जाता है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली
आर.टी.जी.एस. प्रणाली : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1 आर.टी.जी.एस प्रणाली क्या है?

उत्तरः आर.टी.जी.एस का विस्तृत रूप वास्तविक समय सकल भुगतान है। आर.टी.जी.एस प्रणाली एक ऐसा निधि अंतरण पद्धति है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा का अंतरण 'वास्तविक समय' और 'सकल' आधार पर होता है। यह बैंकिंग चैनल द्वारा मुद्रा अंतरण का सबसे तेज माध्यम है। 'वास्तविक समय' में भुगतान से तात्पर्य है भुगतान संव्यवहारों के लिए प्रतीक्षा अवधि नहीं होती है। संव्यवहारों के प्रसंस्कृत होते ही उनका निपटान हो जाता है। 'सकल भुगतान' से तात्पर्य हैं, संव्यवहारों का बिना किसी अन्य संव्यवहार के लिए प्रतीक्षा किए एक के लिए एक आधार पर निपटान होना । इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक की खाता बही में मुद्रा अंतरण होने पर भुगतान को अंतिम और अप्रतिसंहरणीय माना जायेगा।

प्रश्न 2 इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (ई.एफ.टी) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणाली (एन.ई.एफ.टी) से आर.टी.जी.एस किस प्रकार भिन्न है?

उत्तरः ई.एफ.टी और एन.ई.एफ.टी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के माध्यम हैं जिनमें आस्थगित निवल भुगतान (डी.एन.एस) आधार पर परिचालन होता है और संव्यवहारों का निपटान बैचों में होता है। डी.एन.एस. में निपटान किसी विशेष समय पर होता है। उस समय तक सभी संव्यवहार स्थगित रहते है जैसे सप्ताह के दिनों में एन.ई.एफ.टी का भुगतान एक दिन में छह बार (पूर्वान्ह 9.00 बजे, 11.00 बजे, 12.00 बजे अपरान्ह 13.00 बजे, 15.00 बजे और 17.00 बजे) होता है और शनिवार को तीन बार (पूर्वान्ह 9.00 बजे, 11.00 बजे और 12.00 बजे)। निर्धारित निपटान समय के बाद शुरू किसी भी संव्यवहार को अगले निर्धारित निपटान समय तक इंतजार करना होगा। इसके विपरीत आर.टी.जी.एस में संव्यवहार पूरी आर.टी.जी.एस कार्य अवधि के दौरान लगातार होते रहते हैं।

प्रश्न 3 क्या आर.टी.जी.एस संव्यवहारों के लिए कोई न्यूनतम और अधिकतम राशि निर्धारित है?

उत्तरः आर.टी.जी.एस प्रणाली मूल रूप से बड़े मूल्य की राशियों के लिए है। आर.टी.जी.एस से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि रूपये एक लाख है। आर.टी.जी.एस संव्यवहारों के लिए उच्च राशि की सीमा नहीं है। आर.टी.जी.एस संव्यवहारों के लिए उच्च राशि की सीमा नहीं है। ई.एफ.टी और एन.ई.एफ.टी संव्यवहारों के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि निर्धारित नहीं की गई है।

प्रश्न 4 आर.टी.जी.एस में एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरित होने में कितना समय लगता है?

उत्तरः साधारण परिस्थितियों में प्रेषण बैंक द्वारा निधियों का अंतरण करते ही हिताधिकारी शाखा को वास्तविक समय पर ही निधियॉ प्राप्त होना अपेक्षित है। हिताधिकारी शाखा को निधि अंतरण संदेश प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर ही हिताधिकारी के खाते में निधियॉ जमा करनी हाती हैं।

प्रश्न 5 क्या प्रेषण करने वाले ग्राहक को हिताधिकारी के खाते में मुद्रा जमा होने पर प्राप्ति रसीद दी जाती है?

उत्तरः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्तकर्ता बैंक में मुद्रा जमा होने का संदेश प्रेषण बैंक को भेजा जाता है। इसी आधार पर प्रेषण बैंक प्रेषिती ग्राहक को प्राप्तकर्ता बैंक में मुद्रा जमा होने के बारे में सूचित कर सकता है।

प्रश्न 6 क्या हिताधिकारी के खाते में जमा न होने पर प्रेषण ग्राहक को मुद्रा वापस दी जायेगी और कब?

उत्तरः हॉ। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा हिताधिकारी के खाते में राशि तत्काल ही जमा की जायेगी। यदि किसी कारणवश मुद्रा जमा नहीं की जाती, प्राप्तकर्ता बैंक को उस मुद्रा को दो घंटे के भीतर वापस करना होगा। प्रेषक बैंक द्वारा एक बार मुद्रा वापस प्राप्त कर लेने के बाद, ग्राहक के खाते में मूल डेबिट कर देगा।

प्रश्न 7 आर.टी.जी.एस सेवा खिड़की किस समय तक उपलब्ध रहती है?

उत्तरः आर.टी.जी.एस सेवा खिड़की ग्राहकों के संव्यवहारों के लिए सप्ताह के दिनों में पूर्वान्ह 9.00 बजे से उपरान्ह 16.30 बजे तक एवं शनिवार को पूवान्ह 3.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक भारतीय रिज़र्व बैंक में निपटान के लिए उपलब्ध रहती है, तथापि बैंकों द्वारा अपनाया जाने वाला समय बैंक शाखाओं के ग्राहक समय के आधार पर अलग–अलग हो सकता है।

प्रश्न 8 आर.टी.जी.एस. संव्यवहारों के लिए प्रसंस्करण प्रभार /सेवा प्रभार क्या है?

उत्तरः बैंकों द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर लगाए जाने वाले सेवा प्रभारों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक विस्तृत ढांचा अधिदेशित किया गया है जो इस प्रकार हैः

क) आवक संव्यवहार : निशुल्क कोई प्रभार न लिया जाए।

ख) जावक संव्यवहारः

1 लाख रूपये से 5 लाख रूपये तकः प्रति संव्यवहार के लिए अधिकतम 25 रूपये।

5 लाख रूपये से अधिक– प्रति संव्यवहार अधिकतम 50 रूपये।

प्रश्न 9 प्रेषण ग्राहक को प्रेषण को प्रभावी करने के लिए क्या क्या आवश्यक जानकारी देना होगा?

उत्तरः प्रेषण ग्राहक को आर.टी.जी.एस प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित जानकारी देना आवशयक होगाः

– प्रेषित की जाने वाली राशि।
– अपनी खाता संख्या जिसे डेबिट किया जाए।
– हिताधिकारी बैंक का नाम।
– हिताधिकारी ग्राहक का नाम।
– हिताधिकारी ग्राहक की खाता संख्या।
– प्रेषक से प्राप्तकर्ता के लिए कोई अन्य कोई सूचना यदि हो।
– प्राप्तकर्ता बैंक की आई.एफ.एस की संख्या

प्रश्न 10 प्राप्तकर्ता शाखा का आई.एफ.एस.सी.कोड की जानकारी कैसे होगी?

उत्तरः हिताधिकारी ग्राहक आई.एफ.एस.सी कूट को अपनी शाखा से प्राप्त कर सकता है। आई.एफ.एस.सी कूट चेक के पन्ने पर भी होता है। हिताधिकारी को प्रेषिती ग्राहक को यह कूट संख्या और बैंक शाखा का विवरण भेजना होगा।

प्रश्न 11 क्या भारत में सभी बैंक शाखाए आर.टी.जी.एस सेवा उपलब्ध कराती है।

उत्तरः नहीं। भारत में सभी बैंक शाखाएं आर.टी.जी.एस से नहीं जुड़ी हैं। मार्च 31, 2008 तक 56000 से अधिक शाखाएं आर.टी.जी.एस से जुड़ चुकी है। इस शाखाओं की सूची आर.बी.आई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रश्न 12 क्या ऐसा कोई तरीका है जिसे प्रेषण ग्राहक प्रेषित संव्यवहार पर नज़र रख सके?

उत्तर : यह प्रेषण ग्राहक और प्रेषण बैंक के बीच हुई व्यवस्था पर निर्भर करता है। कुछ बैंक इंटरनेट सुविधा के साथ यह सेवा उपलब्ध कराते है। हिताधिकारी बैंक के खाते में निधियॉं जमा होने पर, प्रेषण ग्राहक को उसकी बैंक से ई मेल अथवा मोबाइल पर संक्षिप्त संदेश के माध्यम से पुष्टि की जाती है।

प्रश्न 13 हिताधिकारी के खाते में राशि जमा ने होने पर अथवा जमा होने में देरी होने पर हमें किससे संपर्क करना चाहिए?

उत्तरः अपनी बैंक/शाखा से संपर्क करें। मामले का समाधान संतोषजनक रूप से नहीं होने पर आर.बी.आई के ग्राहक सेवा विभाग से निमलिखित पते पर संपर्क करना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, ग्राहक सेवा विभाग, पहली मंज़िल, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 अथवा ई मेल पर भेजें।

प्रश्न 14 आर.टी.जी.एस द्वारा किसी विशिष्ट दिवस में कितनी मात्रा और मूल्य का संव्यवहार होता है?

उत्तरः किसी विशिष्ट दिवस में आर.टी.जी.एस में एक दिन में लगभग 80000 संव्यवहार होते है जिनका मूल्य लगभग रूपये 2700 बिलियन होता है।

प्रश्न 15 ग्राहक कैसे जानेगा कि हिताधिकारी की बैंक शाखा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्रेषण स्वीकार करती है।

उत्तरः आर.टी.जी.एस के माध्यम से निधियों का अंतरण करने के लिए भेजनेवाली बैंक शाखा और प्राप्तकर्ता बैंक शाखा दोनों को ही आर.टी.जी.एस से जुड़ा होना चाहिए। आर.टी.जी.एस से जुड़ी शाखाओं में यह सूची सुलभ रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा आर.बी.आई की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

यह ध्यान में रखते हुए कि 10000 शहरों/ कस्वों और तालुका स्थानों पर 56000 से अधिक शाखाएं आर.टी.जी.एस प्रणाली से जुड़ी हैं, यह जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा।

सौजन्य – आर.बी.आई

राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के संबंध में पत्र लिखा है। श्री राव ने कहा है कि संहिता के अनुसार अप्रमाणित आरोप नहीं लगाये, व्यक्तिगत लांछन, जातिगत/वर्गगत या धार्मिक आधार पर आरोप न लगाये। आपत्तिजनक भाषा अथवा शब्दावली का प्रयोग और महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी या आचरण नहीं हो।

श्री कांता राव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग उम्मीद करता है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल और अभ्यर्थी चुनाव के प्रचार–प्रसार के दौरान आचरण के उच्च मानकों का पालन करेंगे जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो सके।

वर्षा जल संचयन

भविष्य में पानी की कमी को पूरा करने और जल को बहने से बचाने के लिये प्राकृतिक संसाधनों और कृत्रिम डिजाइन संसाधनों के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा और संग्रहित करना वर्षा जल संचयन है। कई सारे कारणों के द्वारा जल संचयन की मात्रा प्रभावित होती है जैसे बारिश की प्रायिकता, बारिश की मात्रा, बारिश के पानी को इकट्ठा करने का तरीका और पानी को इकट्ठा करने के लिये संसाधनों का आकार। कई सारी वजहों जैसे वनों की कटाई और पारिस्थितिकी असंतुलन से भूमि जलस्तर घटता जा रहा है। खासतौर से शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जल आपूर्ति की मांग बढ़ रही है। इसका कारण अत्यधिक भूमिगत जल का इस्तेमाल है जिससे ये नीचे की ओर जा रहा है। है अगर तुरंत कुछ प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये तो भविष्य में पानी के कमी का खतरा बड़े पैमाने पर बढ़ेगा और ये जीवन के लिये भी खतरा साबित हो सकता हैं।

जल संचयन बहुत ही मददगार है विभिन्न जरुरतों को पूरा करता है जैसे भूमि जलस्तर का पुनर्भरण, जल आपूर्ति में खर्च होने वाली बिजली के बिल को घटाएगा और किसी भी समय सरल जल आपूर्ति उपलब्ध करायेगा जब भी इसकी जरुरत होगी। ये आकलन किया गया है कि जलस्तर में 1 मीटर की बढ़ौतरी लगभग 0.4KWH बिजली को बचायेगा।

बारिश के पानी का संचयन क्यों आवश्यक है:

बारिश के पानी का संग्रहण सभी क्षेत्रों के लोगों के लिये बहुत जरुरी है। भविष्य में जल की कमी का डर खत्म करना बहुत अच्छा है। निम्न बिन्दु ये समझने में मदद करेंगे कि क्यों वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता है:

विभिन्न उद्देश्यों के लिये पानी की मांग को सतह का जल पूरा नहीं कर सकता है।

अपनी सभी जरुरतों के लिये भूमि जल पर सभी निर्भर हैं।

वनों की कटाई, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, नीचे की मिट्टी से बारिश का पानी रिसना आदि के कारण लगातार भूमि जलस्तर घट रहा है।

प्राकृतिक जल संसाधनों में जल के स्तर को बारिश के पानी का संग्रहण बनाये रखता है।

ये सड़कों पर बाढ़ का खतरा और मिट्टी के घिसावट के खतरे को कम करता है साथ ही जल की गुणवत्ता को सुधारता है।

बारिश के पानी के संग्रहण की मुख्य तकनीक निम्न है:

भविष्य में उपयोग के लिये सतह के जल को इकट्ठा करना।

भूमि जल का पुनर्भरण करना।

सतह से बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही असरदार और पारंपरिक तकनीक है। इसे छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, डैम, बांध आदि के इस्तेमाल से किया जा सकता है। हालांकि, भूमिजल का पुनर्भरण तकनीक संग्रहण का एक नया तरीका है। इसे कुआँ खोद कर, गड्ढा, खाई, हैंड पम्प, कुओं को पुनः चार्ज करके किया जा सकता है।

सीईओ श्री राव ने सोशल मीडिया विंग का निरीक्षण किया

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने लोकसभा निर्वाचन–2019 के दौरान नर्मदा भवन में संचालित सोशल मीडिया विंग का निरीक्षण किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार की गतिविधियों की समीक्षा की और सीईओएमपी के फेसबुक पेज और ट्वीटर हैंडल को देखा। टीम को मतदाता जागरूकता के नये आईडिया के साथ मतदान दिवस का बेहतर प्रमोशन करने के निर्देश दिये।

श्री राव ने कहा कि सभी स्टेट स्वीप आईकॉन के संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाये। विधानसभा निर्वाचन में जिन मतदाताओं ने विपरीत हालात में भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उनकी प्रेरक स्टोरी तैयार कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें ताकि अन्य मतदाता भी प्रभावित होकर मतदान केंद्र तक पहुँचें और मतदान करें। उन्होंने मतदाता जागरूकता के संदेश ऑडियो, वीडियो और ग्राफिकल फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर भी शेयर करने और व्हाट्सएप स्टीकर्स तैयार करने के निर्देश दिए। श्री राव ने मतदान दिवस पर हेशटैग प्लान कर उसके साथ वोटिंग के बाद मतदाताओं के लिये ष्बेस्ट सेल्फीष् प्रतियोगिता करने के लिये कहा।

सीईओ श्री राव ने कहा कि प्रदेश में सभी चार चरण के मतदान से कुछ दिन पहले फेसबुक पर इवेंट क्रिएट कर डेमोग्राफिकली टार्गेट कर उसी क्षेत्र के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अभिजीत अग्रवाल मौजूद थे।

(पृष्ठ 4 का शेष)

जैविक खाद तैयार करने की विधियाँ

तैयार करने की विधिः

कचरे से खाद तैयार किया जाना है उसमें से कांच–पत्थर, धातु के टुकड़े अच्छी तरह अलग कर इसके पश्चात वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये 10x4 फीट का प्लेटफार्म जमीन से 6 से 12 इंच तक ऊंचा तैयार किया जाता है। इस प्लेटफार्म के ऊपर 2 रद्दे ईट के जोडे जाते हैं तथा प्लेटफार्म के ऊपर छाया हेतु झोपड़ी बनाई जाती हैं प्लेटफार्म के ऊपर सूखा चारा, 3–4 क्विंटल गोबर की खाद तथा 7–8 क्विंटल कूड़ाकरकट (गार्वेज) बिछाकर झोपड़ीनुमा आकार देकर अधपका खाद तैयार हो जाता है जिसकी 10–15 दिन तक झारे से सिंचाई करते हैं जिससे कि अधपके खाद का तापमान कम हो जाए। इसके पश्चात 100 वर्ग फीट में 10 हजार केंचुए के हिसाब से छोड़े जाते हैं। केचुए छोड़ने के पश्चात् टांके को जूट के बोरे से ढंक दिया जाता हैं, और 4 दिन तक झारे से सिंचाई करते रहते हैं ताकि 45–50 प्रतिशत नमी बनी रहें। ध्यान रखे अधिक गीलापन रहने से हवा अवरूध्द हो जावेगी ओर सूक्ष्म जीवाणु तथा केंचुऐ मर जावेगें या कार्य नही कर पायेंगे।

45 दिन के पश्चात सिंचाई करना बंद कर दिया जाता है और जूट के बोरों को हटा दिया जाता है। बोरों को हटाने के बाद ऊपर का खाद सूख जाता है तथा केंचुए नीचे नमी में चले जाते है। तब ऊपर की सूखी हुई वर्मी कम्पोस्ट को अलग कर लेते हैं। इसके 4–5 दिन पश्चात पुनः टांके की ऊपरी खाद सूख जाती है और सूखी हुई खाद को ऊपर से अलग कर लेते हैं इस तरह 3–4 बार में पूरी खाद टांके से अलग हो जाती है और आखरी में केंचुए बच जाते हैं जिनकी संख्या 2 माह में टांके में, डाले गये केंचुओं की संख्या से, दोगुनी हो जाती हैं ध्यान रखें कि खाद हाथ से निकालें गैंती, कुदाल या खुरपी का प्रयोग न करें। टांकें से निकाले गये खाद को छाया में सुखा कर तथा छानकर छायादार स्थान में भण्डारित किया जाता है । वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा गमलों में 100 ग्राम, एक वर्ष के पौधों में एक किलोग्राम तथा फसल में 6–8 क्विंटल प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। वर्मी वॉश का उपयोग करते हुए प्लेटफार्म पर दो निकास नालिया बना देना अच्छा होगा ताकि वर्मी वॉश को एकत्रित किया जा सकें

केंचुए खाद के गुण

इसमें नत्रजन, स्फुर, पोटाश के साथ अति आवश्यक सूक्ष्म कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, जस्ता और मोलिवड्नम तथा बहुत अधिक मात्रा में जैविक कार्बन पाया जाता है ।

केंचुएँ के खाद का उपयोग भूमि, पर्यावरण एवं अधिक उत्पादन की दृष्टि से लाभदायी है।

भण्डारण पद्धति : ध्यान देने वाली बातें

उर्वरकों के लिए

उर्वरकों के भण्डार में भी कृषि उत्पाद की तरह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भण्डारण के दौरान विशेषकर इन दो विशिष्टताओं के कारण इन पर ध्यान देना अपेक्षित है:–

– अधिकांश उर्वरक वातावरण से शीघ्र नमी/आर्द्रता ग्रहण करते हैं (हाईग्रोस्कोपिक)

– संक्षारक प्रकार (कोरोसिव नेचर) के कारण, वे फर्श, दीवारों, लोहे के उपकरणों तथा अन्य ढांचों को हानि पहुचाते हैं।

उर्वरक की मात्रा तथा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भण्डारण पद्धतियां इस प्रकार हैं:–

– उर्वरक के बारों को प्रारंभिक निरीक्षण में पैकिंग देखे तथा बोरे पर लगे छापे से इसकी गुणवत्ता, किस्म, नाम, ब्रांड, तौल आदि देखें।

– कटे फटे तथा ढीले बोरों को अलग चट्टे में लगाएं।

– माल भरे बोरों को सही प्रकार से तोलें, यदि बोरे एक ही वनज के हैं तो 10 प्रतिशत तथा यदि बोरे कटे–फटे, ढीले व भिन्न भार के हैं, तो शत प्रतिशत बोरों का तोल करें।

– बोरों को फटने तथा माल को रिसने से बचाने के लिए सही प्रकार से हैण्डल करें।

– बोरों को उठाने व रखने के लिए कांटे का प्रयोग न करें

– फर्श, खिड़की, दवाजे तथा दीवार पर उस उंचाई तक बिट्यूमिन या सोडियम सिलिकेट या अलसी के तेल की पुताई करें, जहां तक उर्वरक रखी जानी है। उर्वरक एक क्षयकारी वस्तुत है जो दीवार, फर्श और लोहे के ढांचे को नष्ट करती है। इन रसायनों व्दारा पुताई इसे क्षय से बचाती है।

– लकड़ी के केट्स, बांस की चटाई अथवा पोलिथीन फिल्म के रूप में निभार का प्रयोग करें तथा इसे समुचित रूप से बिछाएं।

– उचित चट्टे बनाएं तथा उर्वरक के प्रकार के अनुसार उंचाई सीमित करें हाईग्रो–स्कोपिक उर्वरक का चट्टा4 मीटर से अधिक उंचाई का नहीं होना चाहिए जबकि गैर–हाईग्रोस्कोपिक उर्वरक के चट्टी की उंचाई 5 मीटर होनी चाहिए।

– भण्डारित उर्वरक को खाद्यान्न तथा लोके के उपकरणों से दूर रखें।

– हाईग्रोस्कोपिक उर्वरक को अधिक नवी आर्द्रता के प्रभाव से बचाएं। उर्वरक नमी आर्द्रता ग्रहण करने पर सख्त ढेला (लम्प) अथवा पत्थर होता है। तथा बाद में सूख जाता है। सूख न पाने तथा अधिक नमी ग्रहणकरने से उर्वरक लेईदार गाढ़ा द्रव्य बन जाता है तथा बोरों से रिसना आरम्भ हो जाता है। आर्द्रता से रसायनिक परिवर्तन होते हैं तथा कुछ उर्वरकों के गुणों का नुकसान होता है।

केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (सी.ए.एन.) तथा अमोनियम सफल्टे नाईट्रेट अयधिक हाईग्रोस्कोपिक होते हैं। इनमें अधिक समय तक भण्डारण के दौरान 50 प्रतिशत भौतिक हानि तथा गुणों में कुछ कमी हो सकती है। यूरिया के मामले में गुणों में कमी नहीं होती है।

– नमी/आर्द्रता के प्रभाव को समाप्त करने के लिए बरसात के दिनों में गोदाम को बंद रखें।

– नमी युक्त हवा के प्रभाव रोकने के लिए हाईग्रोस्कोपिक उर्वरक को पॉलीथीन के कवर से ढक कर रखा जा सकता है।

– शुष्क दिनों के दौरान पर्याप्त हवा उपलब्ध कराऐं।

अमोनियम नाईट्रेट आधारित उर्वरकों को, जब लम्बी अवधि के लिए अधिक तापमान की स्थिति में वातानुकूलन के बिना बंद गोदामों में भण्डारित किया जाता है, तो यह उपघटित होकर विस्फोटक हो सकते हैं।

उपयोग के बाद गोदाम में से रासायनिक अवशेषों के दूर करने के लिए उन्हें कपड़े वाले सोडे से धोएं।

बीज के लिए

बीज इसलिए मूल्यावान है क्योंकि यह जीवन क्षमता रखता है और इससे नई पौध प्राप्त होती है। स्वस्थ बीज ही स्वस्थ पौधे को पैदा करेगा। बीज का जीवन सक्षमता को बनाए रखने एवं स्वस्थ पौधा प्राप्त करने के लिए बीज को अच्छी परिस्थितियों में रखा जाना चाहिए।

बीज के भण्डारण के लिए उन सभी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है जो कृषि उत्पाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। परन्तु बीज जीवनसक्षम और नयी पौध देने वाली वस्तु है अतः उसके लिए अनिवार्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:–

सूखा, साफ, उचारित एवं जीवन सक्षम बीज ही भण्डारण हेतु स्वीकार किया जाए। सक्षमता की शिनाख्त पैकटों पर स्टेंसिल/टैग/लेबल से करें।

– स्वीकार किए गए बीज कीटमुक्त रखने के लि उसमें नमी मात्रा 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार निभार के रूप में लकड़ी के पटरों का अथवा चटाई की तीन तहों का प्रयोग करें।

– बीज की ढुलाई, उठाई ध्यानपूर्वक करें, काटें/हुकों का प्रयोग न करें।

– चट्टा तीन मीटर की उंचाई तक सीमित रखें।

– बीजों को अधिक नमी की मात्रा वाली वस्तुओं एवं उर्वरकों आदि से दूर भण्डारित करें।

– शुष्क एवं ठंडी परिस्थितियों में भण्डारित करें। अच्छी सफाई और वातन/हवा सुनिश्चित करें।

– माल का नियमित रूप से निरीक्षण करें।

– सुरक्षात्मक एवं नियंत्रित उपायों से कीड़ों, चूहों एवं चिड़ियों से बचाव करें क्योंकि ये बीज के अंकुरण पर आक्रमण करके उसकी जीवन क्षमता खत्म कर देते हैं।

– कीड़ा न लगने पर भी हर तीन महीनें बाद प्रद्यूमीकरण करें। और हल्का सा भी कीड़ा लग जाने की स्थिति में प्रद्यूमीकरण में विलंब नहीं करें।

– सक्षमता की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें तथा सक्षमता अवधि के दौरान ही स्टॉक का निपटान कर दें।

– बीज की बिक्री एवं वितरण करने के मारमले में ''बीज अधिनियम'' एवं ''बीज नियम'' की अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

अब हमें ज्ञात हो गया है कि कीड़े, चूहे, पक्षी, सूक्ष्म जीव, नमी, तापमान, आदि जैसे घटक एवं कारक भण्डारण के दौरान माल को हानि पहुंचाते हैं और किस प्रकार हम इन्हें रोक सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक संकट तथा चोरी, आग, बाढ़ एवं तूफान जैसी अन्य दुर्घटनाओं व्दारा स्टॉक को अप्रत्याशित एवं असाधारण रूप से बड़ी हानियां होती है।

भण्डारण के दौरान माल को सुरक्षित रखना :

भण्डारण के दौरान माल में रख–रखाव के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठायें

समय–समय पर निरीक्षण:

माल की स्थिति की जांच करने के लिए कम से कम हर दो सप्ताह के पश्चात प्रत्येक चट्टे का निरीक्षण करें। कृषि उत्पाद का निरीक्षण नमी, तापमान में किसी प्रकार की वृद्धि तथा कीड़ों, चूहों व पक्षियों व्दारा किए गए नुकसान की जांच के लिएं। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का निरीक्षण आर्द्रता के प्रभाव तथा तापमान में वृद्धि हेतु करना चाहिए। प्रत्येक निरीक्षण में गोदाम की स्थिति की भी नियमित रूप से जांच करें।

बोरों के झटके के साथ सीधी परखी (सैम्पलर) डालकर नीचे उलटाते हुए कृषि उत्पाद का नमूना ''एनैमल'' की गई प्लेट पर लें। विभिन्न बोरों से नमूने एकत्र करें जिससे एक सही मिला जुला (प्रतिनिधि) नमूना बन सके। नमूने की जांच कीड़ों की प्रमात्रा के लिए करें।

चूहे तथा अन्य घटकों के कारण किसी नुकसान के लिए भी माल का निरीक्षण करें। किए गए निरीक्षण का विवरण स्टैक कार्ड में लिखें।

कीट नियंत्रण हेतु उपचार–

– यदि माल के नमेने में माल को नष्ट करेन वाला कीड़ा पाया जावे तो माल का तुरन्त प्रधूमीकरण करें।

– उड़ने वाले कीड़े केलगने पर अथवा कीड़ों के एक चट्टे से दूसरे चट्टे पर जाने से रोकने के लिए माल पर शीघ्र ही दवा का छिड़काव करें।

– यदि चूहे देखे जाते हैं तो तत्काल चूहों पर नियंत्रण करने के उपाय अपनाएं।

– यदि वर्षा के जल के रिसाव के कारण अथवा गोदामों की दिवारों से अथवा फर्श पर पानी के रिसने के कारण सीलन से नुकसान हो रहा है तो रक्षात्मक तथा नियंत्रण हेतु उपाय अपनाए। बरसाती हवा तथा सीलन का माल पर प्रभाव न होने दें। मौसम के शुष्क तथा साफ होने पर ही वायुप्रवाह के लिए गोदाम को खोलें। पानी से प्रभावित बोरों को अलग कर दें, इन्हें सुखाकर अलग से रखें।

गोदाम के अन्दर की सफाई–

चट्टों तथा गोदाम की दीवारों को ब्रश करें तथा फर्श को नियमित रूप से अच्छी तरह से साफ करें। बोरों से गिरे छुटपुट माल को एकत्र करें तथा इसे एक बोरे में अलग से रखें। रसायनिक प्रयोग के पश्चात माल पर मरे हुए कीड़ों को एकत्रित कर बाहर फेंक देंरु–

वायु प्रवाह (सलेक्टिव ऐरिएशन)

विभिन्न ऋतुओं में गोदाम में भण्डारित माल को कीट तथा नमी से सुरक्षित रखने हेतु हवा लगाना अति आवश्यक है। हवा नियमित रूप से लगानी चाहिए। वातावरण में आर्द्रता व नमी के अधिक होने के समय को छोड़ कर, कृषि उत्पाद को नियमित रूप से हवा लगवाएं। सभी साफ दिनों में उर्वरक को हवा लगवाएं। अधिक आर्द्रता होने पर नुकसान से बचने के लिए बरसात के दिनों में गोदाम को बंद रखें।

आस–पास की सफाई:

गोदाम कें आस पास अनावश्यक पेड़ पौधों तथा मलबे को हटाएं चूंकि कीडों के विकास तथा आश्रय के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। चूहों के बिलों को बंद कर दें ताकि चूहों के खतरे से बचा जा सके।

आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 मंत्र

किसी ने कहा है, 'अनुभव बताता है कि आपको क्या करना है और आत्मविश्वास उसे पूरा कराता है।' इसलिए जरूरी है कि आप खुद का मूल्यांकन करें, खुद से प्यार करें। साथ ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि आत्मविश्वास विकास की प्रक्रिया को समय और समर्पण चाहिए। मजबूत आत्मविश्वास वह मंत्र है, जिसके बाद जीत पक्की है।

सकारात्मक सोचें

पहला कदम है पॉजिटिव सोच रखना। जैसे विचार आप रखते हैं, दिमाग वही सोचने लगता है। विचारों के प्रति सावधान रहें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, इससे आत्म–विश्वास में वृद्धि होगी। दूसरे क्या सोचेंगे, यह सोच कर अपनी क्षमताओं को सीमित न करें। अपने प्रति दयालु रहें, अपना सम्मान करें और हर नतीजे का जिम्मेदार खुद को न मानें।

अतीत को भूलें

अतीत की असफलताओं और भूलों को भूल कर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। ध्यान रखें,

आप किसी भी समय नई शुरुआत कर सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी अन्य पर आरोप न लगाते हुए शांति से अपनी प्रतिक्रिया दें। यह फैसला करें कि आप भविष्य में अपने लिए क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से आपको दिशा मिलेगी। लक्ष्यों को हासिल करना आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

उपलब्धियों को याद रखें

असफलता को स्वीकार करना आत्मविश्वास की कुंजी है। इससे आप निराश नहीं होंगे तथा कार्यों को उत्साह से आगे बढ़ा सकेंगे। जीवन में जो अच्छी चीजें मिली हैं, उनका ध्यान रखें, अच्छे काम के लिए खुद को शाबाशी दें। किसी ने कहा है, यदि आपने कभी कोई काम सफलतापूर्वक किया है, तो आप उसे दोबारा भी कर सकते हैं।

कुछ नया सीखें

यदि परिस्थितियां जटिल लग रही हैं तो किसी नई स्किल को सीखें। कुछ भी नया सीखना आपके आत्म विश्वास और उत्साह को बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी जानकारी बढ़ती है, सोच व्यापक होती है और आप स्थितियों का सामना बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनते हैं।

आपका नेटवर्क भी बढ़ता है, साथ ही कुछ नया सीखना एक ही तरह के काम से उत्पन्न एकरसता और बोरियत को भी कम करता है।

व्यक्तित्व को निखारें

जब आप अच्छे लग रहे होते हैं तो अच्छा महसूस भी करते हैं। अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दें। अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल सुधारें। सक्रिय रहें और फिटनेस पर ध्यान दें। ऐसा करना आपको खुश रखता है। खुद को एक बिंदु तक सीमित न रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रखते हुए आसपास के परिवेश से जुड़े रहें।

लू से कैसे बचें

हर वर्ष हमारे देश में हज़ारो लोग लू के कारण असमय ही मौत के आगोश में चले जाते है। लू अर्थात गर्म शुष्क हवाएं बहुत अधिक गर्मी विशेषकर मई, जून में ज्यादा चलती है और थोड़ी सी सावधानी से इससे बचा जा सकता है।

समान्यता कोई भी व्यक्ति तब ही लू के चपेट में आता है जब वह तेज धूप में बाहर जाता है अथवा किसी गर्म जगह / कमरे में जहाँ पर कोई भी पंखा, कूलर आदि ना हो देर तक काम करता है और वहाँ पर उस जगह के गर्म होने के कारण उसे अत्यधिक पसीना आता है, घबराहट होने लगती है सर चकराने लगता है। जानिए लू से कैसे करें बचाव, लू में क्या रखे सावधानियाँ

- लू से बचने के लिए दोपहर के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर जाएँ तो सिर को किसी कपड़े से ढँक लेना चाहिए। कपड़ा इस तरह बांधे कि दोनों कान भी ढँक जाएँ।
- गर्मी के मौसम में मुलायम, ढीले सूती कपड़े पहने जिससे कपड़े शरीर के पसीने को सोखते रहे।
- गर्मी में हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करें ।घर से बाहर जाते समय खाली पेट ना जाएँ।

- गर्मी के मौसम में अण्डा, माँस, मछली, गर्म मसाला, चाय और शराब आदि चीजों का प्रयोग बिलकुल भी नहीं करना चाहिए।
- गर्मी के दिनों में बार–बार पानी पीते रहें जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो । दिन में दो–तीन बार पानी में नींबू व नमक मिलाकर पीते रहने से लू नहीं लगती है।
- गर्मी में मौसमी फलों जैसे, खरबूजा, तरबूज, अंगूर इत्यादि का सेवन भी अवश्य ही करें।
- गर्मी के दिनों में प्याज का अधिक सेवन करें एवं बाहर जाते समय कटे प्याज को जेब में रखना चाहिए।
- गर्मी में आम के पने का सेवन बहुत अधिक करें , इससे लू से बचाव होता है।
- बेल वा नीबूं का शरबत शरीर में पानी की कमी को दूर करता है इससे भी लू से बचाव होता है।
- बाहर से आने के बाद तुरंत नहीं वरन थोड़ा रुक कर जब शरीर का तापमान सामान्य हो जाय तभी ठंडा नहीं सादा पानी पीना चाहिए।

लू के घरेलु उपचार

- अगर किसी को लू लग जाये तो उस व्यक्ति को तुरंत प्याज का रस शहद में मिलाकर दें इससे शीघ्र ही फ़ायदा मिलता है, लू का प्रकोप दूर होता है।
- लू लगने पर इमली के गूदे को हाथ पैरों के तलवों पर मलें इससे मरीज़ की हालत में शीघ्र सुधार होता है, लू का असर समाप्त हो जाता है।
- अनार के रस में खाण्ड़ या मिश्री मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए । इससे लू में आराम मिलता है।
- लू लगने पर रोगी के शरीर को थोड़ी–थोड़ी देर के बाद गीले तौलिये से पोंछना चाहिए।
- लू लगने पर घड़े या सुराही के पानी में नीबूं की शिकंजी (उसमें थोड़ा सा नमक भी डालें) बना कर पिलानी चाहिए।
- साफ पानी में धनियां को पीस कर उसमें चीनी मिला कर उस शरबत को पीने से लू का असर समाप्त होता है ।
- प्याज को भूनकर पीस लें फिर उसमें जीरे का चूर्ण और मिश्री मिलाकर खाएं इससे लू नहीं लगती है, अगर लू लगी हो तो उसमे तुरंत लू से राहत मिलती है।
- धनियां को पीस कर पानी में घोलकर उसमे चीनी मिला कर पियें इससे लू का असर दूर होता है।
- कच्चे आम को भूनकर, उसे पानी में मसलकर छान लें फिर उसमें स्वाद के अनुसार चीनी और जीरा मिलाकर लेने से लू का प्रकोप शांत होता है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।